# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

## राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 155/2019

1. राजू पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

वादी

बनाम

1. श्रीमती बरजी देवी पत्नि श्री रामलाल, जाति जाट निवासी ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. श्रीमती नन्दू देवी पुत्री श्री रामलाल, जाति जाट निवासी ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. श्रीमती नेराज पुत्री श्री रामलाल, जाति जाट निवासी ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. विश्राम पुत्र श्री रामलाल, जाति जाट निवासी ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
5. श्रीराम पुत्र श्री रामलाल, जाति जाट निवासी ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
6. मेहराम पुत्र श्री रामलाल, जाति जाट निवासी ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
7. श्रवण पुत्र श्री रामदेव, जाति जाट निवासी ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
8. रामचन्द्र पुत्र श्री रामदेव, जाति जाट निवासी ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
9. सूरता पुत्री श्री रामदेव, जाति जाट निवासी ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रतिवादीगण

**निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956**

दिनांकः 04/10/2021

उपस्थितः श्री डी0सी0 सेठी — वादी अभिभाषक
प्रतिवादीगण

## निर्णय

1. यह वाद पत्र वादी द्वारा वकील श्री डी0सी0 सेठी के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 वादी द्वारा वाद पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 स्थित खाता संख्या नया 764 पुराना 687 ख0नं0 493 रकबा 02–00–00, ख0नं0 494 रकबा 02–14–00, ख0नं0 495 रकबा 00–08–00, ख0नं0 505/2 रकबा 00–01–00, ख0नं0 830 रकबा 03–12–00, ख0नं0 856 रकबा 07–16–00 ख0नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.01.31 13:31:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

1951 रकबा 04—00—00 एवं ख0नं0 1953 रकबा 04—09—00 कुल किता 8 कुल रकबा 34—00—00 भूमि में वादी का 1/14 हिस्सा व खाता संख्या नया 772 पुराना 695 ख0नं0 1960/1 रकबा 05—00—00 एवं ख0नं0 1960/2 रकबा 01—15—00 कुल किता 2 कुल रकबा 06—15—00 भूमि में वादी का 1/14 हिस्सा निहित है। उक्त कृषि भूमि के सभी खातेदार अपने—अपने हिस्से पर काबिज है। उक्त वर्णित समस्त कृषि भूमि में वादी का 1/14 हिस्सा खातेदारी व कब्जेदारी में दर्ज है। पूर्व में वादी के पिता स्व0 रामलाल पुत्र स्व0 भूरा के स्वर्गवास के पश्चात् रामलाल जी की उक्त भूमि में विरासत खुलवाई तब सजरे में वादी का नाम घरेलु नाम रामराज सहवन से अंकन होने के आधार पर भूमि के राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण संख्या 3707 व नामान्तकरण संख्या 3707 के जरिये राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम रामराज दर्ज हो गया, जो कि गलत है, जबकि वादी का रिकार्डेड नाम राजू है। अतः उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में रामराज पिता रामलाल के बजाय राजू पिता रामलाल दर्ज होना चाहिये। वादी का रिकार्डेड नाम बैंक पास बुक, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि कागजात में राजू दर्ज है और वादी का राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादी को उपरोक्त भूमि में ऋण लेने में बड़ी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है और उक्त भूमि की अच्छी कीमत मिलने पर बैचान, हस्तान्तरण में बड़ी गंभीर बाधा पैदा हो रही है और वाद कारण दिन प्रतिदिन पैदा हो रहा है और निरन्तर जारी है। वाद कारण तब पैदा हुआ जब नामान्तकरण संख्या 3707 दिनांक 18.04.2017 को राजस्व रिकार्ड में राजू के बजाय रामराज का अंकन राजस्व रिकार्ड में हो गया, जिसकी हानि वादी को दिन प्रतिदिन जारी है। अतः वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में रामराज पुत्र रामलाल का अंकन हटाकर वादी राजू पुत्र रामलाल का अंकन दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती करने एवं राजू पुत्र रामलाल के नाम 1/14 हिस्से की खातेदारी घोषणात्मक डिक्री देने का निवेदन किया।

3. प्रतिवादीगण को वादपदों के स्थिरीकरण के लिये प्रतिवादी को सम्मन (आदेश 5 नियम 1 व 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता) के तहत् नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश किया गया।

3.1 प्रतिवादीगण सं0 1 से 9 द्वारा सहमती का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण सं0 1 से 9 द्वारा वादीगण द्वारा पेश वाद पत्र का सहमती का जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद के के सभी अनु[illegible] कथन स्वीकार है तथा विवाद कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में राज[illegible] पुत्र रामलाल [illegible] हटाकर उसके स्थान पर वादी राजू पुत्र रामलाल का अंकन कर देने व[illegible]द डिक्री कर दिये जाने पर प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.01.31 13:31:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

3.2 प्रतिवादी सं0 10 द्वारा वादीगण द्वारा पेश वाद पत्र का जवाब पेश कर अंकित किया कि नामान्तकरण संख्या 3707 दिनांक 20.04.2017 अनुसार वादी द्वारा वाद में वर्णित रामराज एवं अन्य सहखातेदारों का नाम विरासत नामान्तकरण से दर्ज हुआ है। राजू पुत्र रामलाल जाट का नाम विरासत नामान्तकरण दर्ज किये जाने के दौरान रामराज अंकित हो गया। जिसके समर्थन में वादी द्वारा अपना ड्राईविंग लाईसेंस, ग्राम पंचायत बान्दरसिन्दरी द्वारा जारी राशन कार्ड, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बान्दरसिन्दरी की बैंक पास बुक, आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र संलग्न किया है।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील वादी द्वारा अपनी बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद पत्र में अंकित वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/14 हिस्सा निहित है। उक्त कृषि भूमि के सभी खातेदार अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। उक्त वर्णित समस्त कृषि भूमि में वादी का 1/14 हिस्सा खातेदारी व कब्जेदारी में दर्ज है। पूर्व में वादी के पिता स्व0 रामलाल पुत्र स्व0 भूरा के स्वर्गवास के पश्चात् रामलाल जी की उक्त भूमि में विरासत खुलवाई तब सजरे में वादी का नाम घरेलु नाम रामराज सहवन से अंकन होने के आधार पर भूमि के राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण संख्या 3707 व नामान्तकरण संख्या 3707 के जरिये राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम रामराज दर्ज हो गया, जो कि गलत है, जबकि वादी का रिकार्डेड नाम राजू है। अतः वकील वादी द्वारा अपनी बहस के दौरान वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में रामराज पुत्र रामलाल का अंकन हटाकर राजू पुत्र रामलाल का अंकन दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती करने एवं राजू पुत्र रामलाल के नाम 1/14 हिस्से की खातेदारी घोषणात्मक डिक्री देने का निवेदन किया।

4.2 प्रतिवादीगण सं0 1 से 9 द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब दावा में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादीगण सं0 1 से 9 द्वारा वादीगण द्वारा पेश वाद पत्र का सहमती का जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद के के सभी अनुच्छेदों के कथन स्वीकार है तथा विवाद कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में राजराज पुत्र रामलाल का अंकन हटाकर उसके स्थान पर वादी राजू पुत्र रामलाल का अंकन कर देने व वाद डिक्री कर दिये जाने पर प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

5. हमारे द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। [illegible] प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात् एवं प्रतिवादीगण [illegible] एवं अध्ययन किया जाकर बहस पक्षकारान् सुन मनन किया गया। [illegible]रण में प्रतिवादी का सहमती का

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.01.31 13:31:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

प्रतिउत्तर प्राप्त होने के कारण प्रकरण में विवादक बिन्दू कायम नहीं किये गये। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी0 के तहत् बतौर साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् अनुसार ग्राम बान्दरसिन्दरी स्थित खाता संख्या नया 764 पुराना 687 ख0नं0 493 रकबा 02–00–00, ख0नं0 494 रकबा 02–14–00, ख0नं0 495 रकबा 06–08–00, ख0नं0 505/2 रकबा 03–01–00, ख0नं0 830 रकबा 03–12–00, ख0नं0 856 रकबा 07–16–00, ख0नं0 1951 रकबा 04–00–00 एवं ख0नं0 1953 रकबा 04–09–00 कुल किता 8 कुल रकबा 34–00–00 भूमि व खाता संख्या नया 772 पुराना 695 ख0नं0 1960/1 रकबा 05–00–00 एवं ख0नं0 1960/2 रकबा 01–15–00 कुल किता 2 कुल रकबा 06–15–00 भूमि के राजस्व अभिलेख में वादी का नाम रामराज पुत्र रामलाल दर्ज है। वादी द्वारा पेश दस्तावेजात् एवं वकील वादी की बहस अनुसार वादी का नाम राजू पुत्र रामलाल है।

अतः प्रतिवादी द्वारा पेश सहमती जवाब अनुसार वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राजथान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को ग्राम बान्दरसिन्दरी स्थित खाता संख्या नया 764 पुराना 687 ख0नं0 493 रकबा 02–00–00, ख0नं0 494 रकबा 02–14–00, ख0नं0 495 रकबा 06–08–00, ख0नं0 505/2 रकबा 03–01–00, ख0नं0 830 रकबा 03–12–00, ख0नं0 856 रकबा 07–16–00, ख0नं0 1951 रकबा 04–00–00 एवं ख0नं0 1953 रकबा 04–09–00 कुल किता 8 कुल रकबा 34–00–00 भूमि व खाता संख्या नया 772 पुराना 695 ख0नं0 1960/1 रकबा 05–00–00 एवं ख0नं0 1960/2 रकबा 01–15–00 कुल किता 2 कुल रकबा 06–15–00 भूमि में रामराज पुत्र रामलाल के 1/14 हिस्से के स्थान पर रामराज उर्फ राजू पुत्र रामलाल हि0 1/14 का अंकन करने के आदेश दिये जाकर रामराज उर्फ राजू पुत्र रामलाल को वादग्रस्त भूमि में 1/14 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार किशनगढ़ उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन की कार्यवाही करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 5/1/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.01.31 13:31:28 IST
Reason: SelfAttested

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)